I J C R M
International Journal of Contemporary Research In Multidisciplinary

*Research Article*

# कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मौर्यकालीन शासन व्यवस्था-एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

**राहुल कुमार**
सहायक आचार्य, इतिहास, राजकीय महाविधालय मासलपुर, करौली, राजस्थान, भारत

**Corresponding Author:** * राहुल कुमार

**DOI:** https://doi.org/10.5281/zenodo.21839887

## सारांश

प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के इतिहास में आचार्य कौटिल्य (चाणक्य) विरचित 'अर्थशास्त्र' एक युगप्रवर्तक एवं कालजयी ग्रन्थ है। ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में रचित यह ग्रन्थ केवल अर्थशास्त्र तक सीमित न होकर राज्यशास्त्र, कूटनीति, लोक प्रशासन, सैन्य रणनीति एवं विधि-व्यवस्था का एक विशद और व्यावहारिक कोष है। प्रस्तुत शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रतिपादित शासन सिद्धांतों तथा चंद्रगुप्त मौर्य एवं सम्राट अशोक के शासनकाल में क्रियान्वित मौर्यकालीन प्रशासनिक संरचना का एक गहन विश्लेषणात्मक मूल्यांकन करना है।

अध्ययन में कौटिल्य के 'सप्तांग सिद्धांत' (राज्य के सात अंग) को केंद्रीय आधार मानकर केंद्रीय, प्रांतीय, स्थानीय, सैन्य, गुप्तचर, वित्तीय एवं न्यायिक प्रशासन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक प्रणाली का सूक्ष्म परीक्षण किया गया है। शोध के निष्कर्ष यह दर्शाते हैं कि मौर्यकालीन शासन व्यवस्था एक अत्यधिक विकेंद्रीकृत कार्यान्वयन वाली केंद्रीयकृत लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित थी। कौटिल्य का 'योगक्षेम' सिद्धांत राजा के एकाधिकार पर प्रजा के कल्याण को प्राथमिकता प्रदान करता है। प्रस्तुत पत्र प्राचीन भारतीय प्रशासनिक मॉडल की आधुनिक लोक प्रशासन और सुशासन के संदर्भ में प्रासंगिकता का भी विश्लेषणात्मक रेखांकन करता है।

**Manuscript Information**

- **ISSN No:** 2583-7397
- **Received:** 08-07-2026
- **Accepted:** 02-08-2026
- **Published:** 07-08-2026
- **IJCRM:** 5(4); 2026: 619-625
- **©2026, All Rights Reserved**
- **Plagiarism Checked:** Yes
- **Peer Review Process:** Yes

**How to Cite this Article**

कुमार रा. कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मौर्यकालीन शासन व्यवस्था-एक विश्लेषणात्मक अध्ययन।. Int J Contemp Res Multidiscip. 2026;5(4): 619-625.

**Access this Article Online**

www.multiarticlesjournal.com

**मुख्य शब्द:** अर्थशास्त्र, कौटिल्य, मौर्य साम्राज्य, सप्तांग सिद्धांत, तीर्थ एवं अध्यक्ष, धर्मस्थीय एवं कण्टकशोधन, योगक्षेम, सुशासन


© 2026 राहुल कुमार. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## 1. प्रस्तावना एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

प्राचीन भारत की राजनीतिक परंपरा में राज्य और शासन के स्वरूप पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया है। वैदिक काल से लेकर महाकाव्य काल तक राज्य व्यवस्था के प्राथमिक रूप दिखाई देते हैं, परंतु ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में मौर्य साम्राज्य के अभ्युदय के साथ ही भारत में प्रथम बार एक संगठित, सुदृढ़ और अखिल भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था का जन्म हुआ। इस महान परिवर्तन के केंद्र में तक्षशिला के महान आचार्य विश्णुगुप्त कौटिल्य (चाणक्य) थे, जिन्होंने नंद वंश के पतन के उपरांत चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासनारूढ़ कर एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी।

कौटिल्य द्वारा रचित **'अर्थशास्त्र'** प्राचीन भारतीय लोक प्रशासन और राज्यशास्त्र का सर्वोत्कृष्ट दस्तावेज है। अर्थशास्त्र में 'अर्थ' शब्द का प्रयोग केवल धन या संपत्ति के अर्थ में नहीं, बल्कि 'मनुष्यों से युक्त भूमि' के अर्थ में किया गया है। कौटिल्य के अनुसार:

मनुष्याणां वृत्तिरर्थः मनुष्यवती भूमिरित्यर्थः। तस्याः पृथिव्या लाभपालनोपायः शास्त्रमर्थशास्त्रमिति॥

अर्थात् "मनुष्यों की जीविका तथा मनुष्यों से युक्त भूमि को प्राप्त करने और उसके रक्षण व पालन के उपायों का प्रतिपादन करने वाला शास्त्र ही अर्थशास्त्र है।"

मौर्यकालीन शासन व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यह न तो केवल काल्पनिक सिद्धांतों पर आधारित थी और न ही निरंकुश स्वेच्छाचारिता पर। यह एक यथार्थवादी, व्यावहारिक और लोककल्याणकारी प्रशासनिक ढांचा था, जिसने भारत को प्रथम बार प्रशासनिक एवं राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा।

## 2. साहित्य की समीक्षा

कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मौर्यकालीन शासन प्रणाली पर देशी एवं विदेशी विद्वानों द्वारा व्यापक शोध कार्य किए गए हैं। प्रमुख साहित्य का विश्लेषणात्मक वर्गीकरण निम्नलिखित है:

- **आर. शामशास्त्री (1909):** अर्थशास्त्र की पांडुलिपि की खोज और उसके प्रथम अंग्रेजी अनुवाद ने आधुनिक शोधकर्ताओं के लिए प्राचीन भारतीय राज्यशास्त्र का द्वार खोला। शामशास्त्री के अनुसार, कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्रशासनिक यथार्थवाद का पहला वैश्विक ग्रंथ है।
- **के. पी. जायसवाल (1924):** 'हिंदू पॉलिटी' में जायसवाल ने स्थापित किया कि मौर्यकालीन शासन कोई स्वेच्छाचारी निरंकुश तंत्र नहीं था, बल्कि यह कौटिल्यीय सिद्धांतों पर आधारित कानून द्वारा सीमित राज्य व्यवस्था थी।
- **हेमचंद्र रायचौधुरी (1923):** 'पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया' में रायचौधुरी ने मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक ढांचे और प्रांतीय व्यवस्था का कालानुक्रमिक एवं साक्ष्य-आधारित विश्लेषण प्रस्तुत किया।
- **आर. सी. मजूमदार (1951):** 'द एज ऑफ इंपीरियल एकता' में मजूमदार ने मौर्यकालीन नौकरशाही और कौटिल्य द्वारा वर्णित १८ तीर्थों एवं २६ अध्यक्षों के पदानुक्रमित संरचना का विस्तार से वर्णन किया है।
- **रोमिला थापर (1961):** 'अशोक एंड द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यास' में थापर ने कौटिल्यीय अर्थशास्त्र और अशोक के शिलालेखों के तुलनात्मक साक्ष्यों के आधार पर यह तर्क प्रस्तुत किया कि मौर्य साम्राज्य अत्यंत विस्तृत था, इसलिए केंद्रीय नियंत्रण के साथ-साथ क्षेत्रीय स्वायत्तता भी विद्यमान थी।
- **ए. एल. बाशम (1954):** 'द वंडर दैट वाज़ इंडिया' में बाशम ने स्वीकार किया कि कौटिल्य का गुप्तचर तंत्र और पुलिस प्रशासन अपने समय का सबसे उन्नत और संगठित ढांचा था, जिसकी तुलना आधुनिक खुफिया एजेंसियों से की जा सकती है।

## 3. शोध की अध्ययन विधि एवं उद्देश्य

### अध्ययन विधि

प्रस्तुत शोध पत्र में **ऐतिहासिक-विश्लेषणात्मक एवं तुलनात्मक अनुसंधान कार्यप्रणाली** (Historical-Analytical and Comparative Methodology) का प्रयोग किया गया है। अध्ययन प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के साक्ष्यों के त्रिकोणीयकरण (Triangulation) पर आधारित है:

1. **प्राथमिक साक्ष्य:** कौटिल्य का 'अर्थशास्त्र' (मूल संस्कृत पाठ एवं प्रामाणिक अनुवाद), मेगस्थनीज की 'इंडिका', तथा सम्राट अशोक के शिलालेख व स्तंभ लेख।
2. **द्वितीयक साक्ष्य:** इतिहासविदों, राजनीतिक शास्त्रियों एवं लोक प्रशासन के विशेषज्ञों द्वारा रचित मानक पुस्तकें, शोध पत्रिकाएं और अकादमिक पत्र।

## 4. शोध के उद्देश्य

- कौटिल्य के 'सप्तांग सिद्धांत' के आधार पर राज्य के अंगों की अंतःनिर्भरता का विश्लेषण करना।
- मौर्यकालीन केंद्रीय, प्रांतीय, स्थानीय और नगरीय प्रशासन की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन करना।
- कौटिल्य की राजस्व, न्याय, सैन्य एवं गुप्तचर व्यवस्था की प्रभावकारिता का परीक्षण करना।
- आधुनिक लोक प्रशासन और सुशासन के सिद्धांतों के संदर्भ में कौटिल्यीय अर्थशास्त्र की प्रासंगिकता को रेखांकित करना।

### सप्तांग सिद्धांत: मौर्यकालीन राज्य दर्शन का आधार

कौटिल्य ने राज्य को एक सजीव जैविक इकाई (Organic Entity) माना है। जिस प्रकार मानव शरीर के संचालन के लिए विभिन्न अंगों का सामंजस्य आवश्यक है, उसी प्रकार राज्य के सुचारू संचालन के लिए सात तत्वों या 'अंगों' का होना अनिवार्य है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के छठे अधिकरण में राज्य के इस **सप्तांग सिद्धांत** का प्रतिपादन किया है:

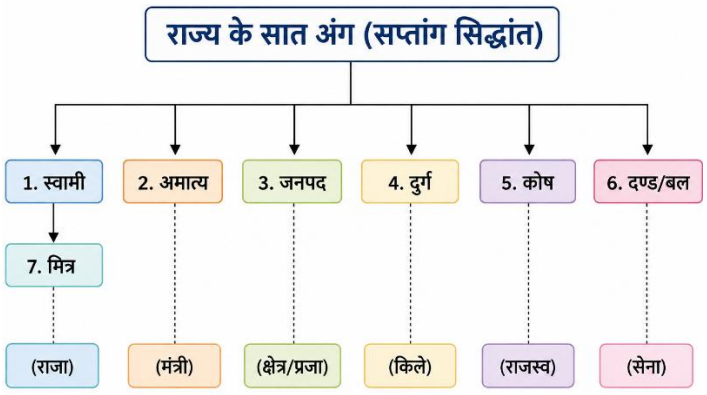



© 2026 राहुल कुमार. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

1. **स्वामी (राजा):** राज्य का शीर्ष और मस्तिष्क। राजा को कुलीन, आत्म-नियंत्रित, बुद्धिमान और साहसी होना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार राजा का कोई निजी हित नहीं होता, प्रजा का हित ही उसका हित है।
2. **अमात्य (मंत्री एवं उच्च अधिकारी):** राज्य की आंखें। इसमें मंत्रिपरिषद और उच्च प्रशासनिक अधिकारी (अमात्य) शामिल हैं, जो शासन संचालन में राजा को परामर्श और सहयोग देते हैं।
3. **जनपद (क्षेत्र एवं जनता):** राज्य की जंघाएं या पैर। जनपद में उपजाऊ भूमि, नदियां, वन, खनिज संपदा और आज्ञाकारी तथा करदाता प्रजा शामिल है।
4. **दुर्ग (किला):** राज्य की भुजाएं। यह सुरक्षा और रक्षा का प्रतीक है। कौटिल्य ने चार प्रकार के दुर्गों का वर्णन किया है: औदक (जल दुर्ग), पार्वत (पर्वतीय दुर्ग), धान्वन (मरुस्थलीय दुर्ग), और वन दुर्ग।
5. **कोष (राजस्व):** राज्य का मुख। एक समृद्ध और धर्मपूर्वक एकत्र किया गया कोष ही राज्य के अस्तित्व, सेना के रख-रखाव और विकास कार्यों की रीढ़ होता है।
6. **दण्ड/बल (सेना):** राज्य का मस्तिष्क/बल। आंतरिक शांति-व्यवस्था और बाह्य आक्रमणों से रक्षा के लिए छह प्रकार की सेनाओं (मौल, भृतक, श्रेणी, मित्र, अमित और अटवी बल) का विधान था।
7. **मित्र (सहयोगी राज्य):** राज्य के कान। संकट के समय सहायता प्रदान करने वाले प्रामाणिक और वंशानुगत मित्र राज्य का सातवां अंग हैं।

### केंद्रीय शासन व्यवस्था एवं मन्त्रिपरिषद

मौर्य साम्राज्य की केंद्रीय शासन व्यवस्था अत्यंत सुव्यवस्थित और पदानुक्रमित (Hierarchical) थी। संपूर्ण सत्ता का केंद्र राजा था, किंतु कौटिल्यीय सिद्धांत के अनुसार राजा स्वेच्छाचारी नहीं हो सकता था।

### राजा की स्थिति और 'योगक्षेम' का सिद्धांत

कौटिल्य ने राजा के कर्तव्यों को अत्यधिक कठोर और व्यस्त समय सारणी में विभाजित किया है। राजा के लिए प्रजा का कल्याण ही सर्वोच्च धर्म था। अर्थशास्त्र का प्रसिद्ध श्लोक राजा की भूमिका को स्पष्ट करता है:

प्रजासुखे सुखं राज्ञः प्रजानां च हिते हितम्। नात्मप्रियं हितं राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितम्॥

अर्थात् "प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा के हित में ही उसका हित है। जो राजा को स्वयं प्रिय लगे वह हितकर नहीं है, बल्कि जो प्रजा को प्रिय लगे वही वास्तव में हितकर है।"

### मन्त्रिपरिषद् एवं अमात्य

राज्य के सुचारू संचालन के लिए कौटिल्य ने राजा को सलाह देने हेतु दो स्तरों की संस्थाओं का प्रावधान किया:

1. **मंत्रिणः (आंतरिक कैबिनेट):** यह 3 या 4 अति-विशिष्ट और निष्ठावान मंत्रियों की एक लघु परिषद थी, जिसमें प्रधानमंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज शामिल होते थे। राजा आपातकालीन और अत्यंत गोपनीय विषयों पर इनसे परामर्श लेता था।
2. **मन्त्रिपरिषद् (विशाल परिषद):** इसमें आवश्यकतानुसार अधिक संख्या में मंत्री होते थे। यह संस्था सामान्य नीतिगत मामलों और प्रशासनिक निर्णयों के क्रियान्वयन की समीक्षा करती थी।

### प्रशासनिक नौकरशाही: 18 तीर्थ और 26 अध्यक्ष

मौर्यकालीन शासन में प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन के लिए एक विशाल और कुशल नौकरशाही (Bureaucracy) का गठन किया गया था। प्रशासनिक विभागों के प्रमुखों को **'तीर्थ'** कहा जाता था, जिनकी संख्या 18 थी।

| क्रम | तीर्थ (उच्चतम अधिकारी) | दायित्व एवं विभाग |
|---|---|---|
| 1 | प्रधानमंत्री / पुरोहित | राजा का मुख्य सलाहकार एवं धार्मिक प्रमुख |
| 2 | समाहर्ता | राजस्व विभाग का सर्वोच्च प्रमुख (कर संग्रहण एवं व्यय नियंत्रण) |
| 3 | सन्निधाता | राजकीय कोषागार एवं भंडार गृह का प्रमुख |
| 4 | सेनापति | सैन्य विभाग का सर्वोच्च प्रमुख |
| 5 | युवराज | राजा का उत्तराधिकारी |
| 6 | प्रदेष्टा | फौजदारी न्यायालय (कण्टकशोधन) का न्यायाधीश |
| 7 | व्यावहारिक | दीवानी न्यायालय (धर्मस्थीय) का मुख्य न्यायाधीश |
| 8 | नायक | नगर रक्षा एवं युद्ध काल में सेना का अग्रिम सेनापति |
| 9 | नागरक | नगर प्रशासन का प्रमुख अधिकारी |
| 10 | दुर्गपाल | आंतरिक दुर्गों का प्रबंधक |
| 11 | अंतपाल | सीमावर्ती दुर्गों और सीमाओं का रक्षक |
| 12 | दण्डपाल | सेना की रसद एवं सामग्री की आपूर्ति करने वाला अधिकारी |
| 13 | दौवारिक | राजप्रासाद (राजमहल) का मुख्य द्वारपाल/प्रबंधक |
| 14 | अंतरवंशिक | राजा की अंगरक्षक सेना का प्रमुख |
| 15 | प्रशास्ता | राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला (दस्तावेज विभाग) |
| 16 | कर्मान्तिक | उद्योग-धंधों और कारखानों का मुख्य निरीक्षक |
| 17 | परिषदाध्यक्ष | मन्त्रिपरिषद् का अध्यक्ष |
| 18 | अटविक | वन विभाग और अरण्य क्षेत्रों का प्रमुख |

तीर्थों के अधीन प्रशासनिक विभागों के कार्यकारी प्रमुखों को **'अध्यक्ष'** कहा जाता था। अर्थशास्त्र के दूसरे अधिकरण (अध्यक्ष प्रचार) में कौटिल्य ने **26 अध्यक्षों** के कर्तव्यों का वर्णन किया है। इनमें प्रमुख थे:

- **लक्षणाध्यक्ष:** मुद्रा जारी करने और टंकणशाला का प्रमुख।
- **सीताध्यक्ष:** राजकीय कृषि भूमि का प्रबंध करने वाला।


© 2026 राहुल कुमार. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

- **अकराध्यक्ष:** खानों (Mines) और खनिज संसाधनों का नियंत्रण करने वाला।
- **कुप्याध्यक्ष:** वन उपज और वनों की देखभाल करने वाला।
- **पौतवाध्यक्ष:** नाप और तौल (Weights and Measures) का निरीक्षक।
- **शुल्काध्यक्ष:** सीमा शुल्क और चुंगी वसूलने वाला।
- **नाव्याध्यक्ष:** नौकायन, जलमार्ग और बंदरगाहों का प्रबंधक।

**प्रांतीय एवं स्थानीय शासन संरचना**

इतने विशाल साम्राज्य को केवल केंद्र से चलाना असंभव था। इसलिए मौर्य साम्राज्य को प्रशासनिक सुविधा के लिए विभिन्न स्तरों में विभाजित किया गया था।

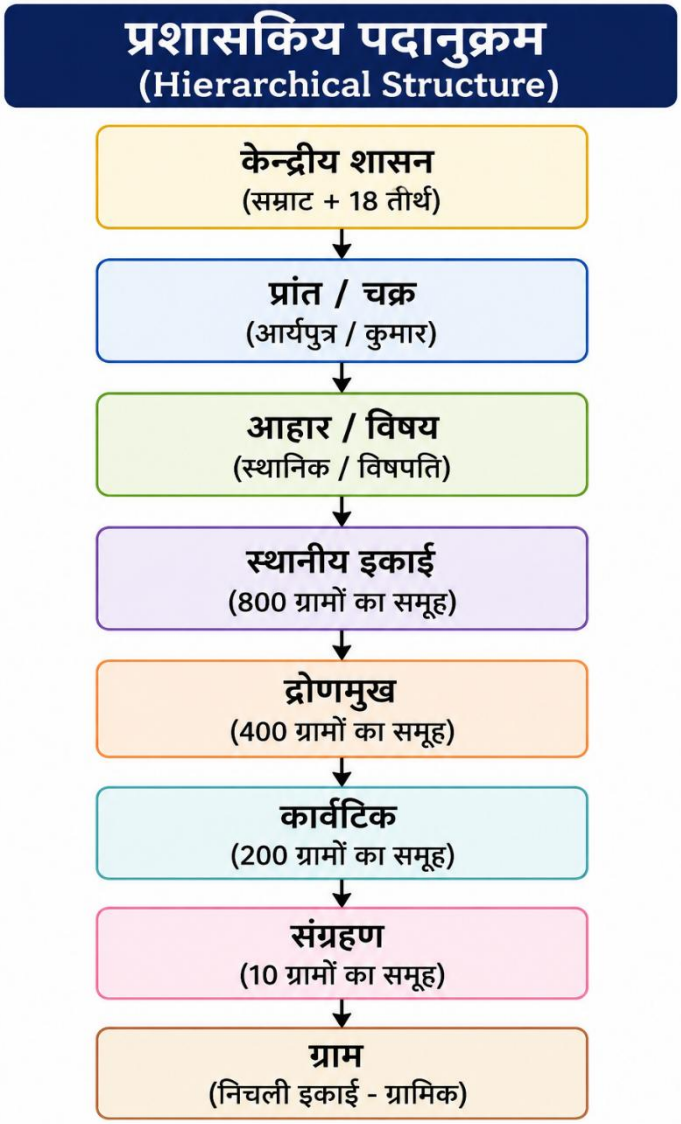


**प्रांतीय प्रशासन**

सम्राट अशोक के समय मौर्य साम्राज्य 5 मुख्य प्रांतों (जिन्हें 'चक्र' कहा जाता था) में विभाजित था:

1. **उत्तरापथ:** राजधानी - तक्षशिला।
2. **अवंतिराष्ट्र:** राजधानी - उज्जैनी।
3. **कलिंग:** राजधानी - तोसली।
4. **दक्षिणापथ:** राजधानी - सुवर्णगिरि।
5. **प्राच्य/प्राची (मध्य देश):** राजधानी - पाटलिपुत्र (साम्राज्य का केंद्रीय भाग)।

प्रांतों का संचालन सामान्यतः राजवंश के राजकुमारों द्वारा किया जाता था, जिन्हें **'कुमार'** या **'आर्यपुत्र'** कहा जाता था। इनकी सहायता के लिए प्रांतों में भी मंत्रियों की पृथक परिषद होती थी।

**ग्रामीण एवं स्थानीय प्रशासन**

मौर्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई **'ग्राम'** थी। ग्राम के प्रमुख को **'ग्रामिक'** कहा जाता था, जिसका चयन गांव के बुजुर्गों (ग्राम वृद्धों) की सहमति से होता था। 10 ग्रामों के समूह पर **'गोप'** और 400 से 800 ग्रामों के समूह पर **'स्थानिक'** नामक अधिकारी होते थे, जो राजस्व


© 2026 राहुल कुमार. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

संग्रहण और जनगणना का कार्य देखते थे। कौटिल्यीय व्यवस्था में प्रथम बार पशुओं, मनुष्यों, व्यापार और संपत्तियों की नियमित जनगणना (Census) का वैज्ञानिक ढांचा तैयार किया गया।

**नगर प्रशासन (नागरक एवं 6 समितियां)**

नगर प्रशासन का प्रमुख **'नागरक'** कहलाता था। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज की 'इंडिका' के अनुसार, पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन **30 सदस्यों की एक नगर परिषद** द्वारा किया जाता था। यह परिषद 5-5 सदस्यों की **6 प्रशासनिक समितियों** में विभक्त थी:

| समिति | मुख्य प्रशासनिक दायित्व |
|---|---|
| **1 समिति** | औद्योगिक कलाओं और हस्तशिल्प का निरीक्षण एवं कारीगरों की सुरक्षा |
| **2 समिति** | विदेशी यात्रियों, व्यापारियों और अतिथियों की देखभाल व सुरक्षा |
| **3 समिति** | जन्म और मृत्यु का पंजीकरण (जनगणना विभाग) |
| **4 समिति** | व्यापार, वाणिज्य, नाप-तौल एवं बाजारों का नियंत्रण |
| **5 समिति** | निर्मित वस्तुओं के विक्रय और गुणवत्ता की जांच |
| **6 समिति** | बिक्री कर (Sales Tax) की वसूली (बिक्री मूल्य का 10वां भाग) |

**वित्तीय एवं राजस्व प्रशासन**

एक सुदृढ़ और समृद्ध वित्तीय व्यवस्था ही मौर्य साम्राज्य के स्थायित्व की कुंजी थी। कौटिल्य का स्पष्ट मानना था कि "सभी कार्य कोष पर निर्भर करते हैं, इसलिए राजा को सर्वप्रथम अपने कोष की ओर ध्यान देना चाहिए।"

**राजस्व के प्रमुख स्रोत**

मौर्यकालीन कर प्रणाली अत्यंत व्यापक और न्यायसंगत थी। कौटिल्य के अनुसार कर इस प्रकार वसूल किया जाना चाहिए जैसे मधुमक्खी फूल को बिना नुकसान पहुंचाए रस एकत्र करती है। राजस्व के प्रमुख स्रोत थे:

- **सीता:** राजकीय कृषि भूमि से होने वाली सीधी आय।
- **भाग:** उपज का वह हिस्सा जो किसानों से भूमि कर के रूप में लिया जाता था (सामान्यतः 1/6 से 1/4 भाग)।
- **बलि:** एक प्रकार का धार्मिक या अनिवार्य कर।
- **शुल्क:** आयात-निर्यात और सीमाओं पर लगाया जाने वाला चुंगी कर।
- **विष्टि:** बेगार या निःशुल्क श्रम (जिसे कर के रूप में श्रम देकर चुकाया जाता था)।
- **आकर/खान कर:** खदानों और वनों से प्राप्त होने वाला राजस्व।

**समाहर्ता एवं सन्निधाता**

वित्तीय प्रशासन में दो अधिकारियों की केंद्रीय भूमिका थी:

1. **समाहर्ता (Collector General):** यह पूरे साम्राज्य के बजट, कर निर्धारण और राजस्व संग्रह का सर्वोच्च प्रमुख होता था। यह वार्षिक आय और व्यय का लेखा-जोखा तैयार करता था।
2. **सन्निधाता (Treasurer General):** यह राजकीय कोष, अनाज के भंडारों (अन्नागार) और कीमती धातुओं की सुरक्षा व प्रबंधन के लिए उत्तरदायी था।

**न्याय, विधि व्यवस्था एवं दण्ड नीति**

कौटिल्य ने न्याय व्यवस्था को राज्य के स्थायित्व के लिए अनिवार्य माना। न्याय का मुख्य उद्देश्य कानून का शासन स्थापित करना और कमजोरों की शक्तिशाली से रक्षा करना था।

**न्यायालयों के प्रकार**

मौर्यकाल में न्यायालय दो मुख्य भागों में विभाजित थे:

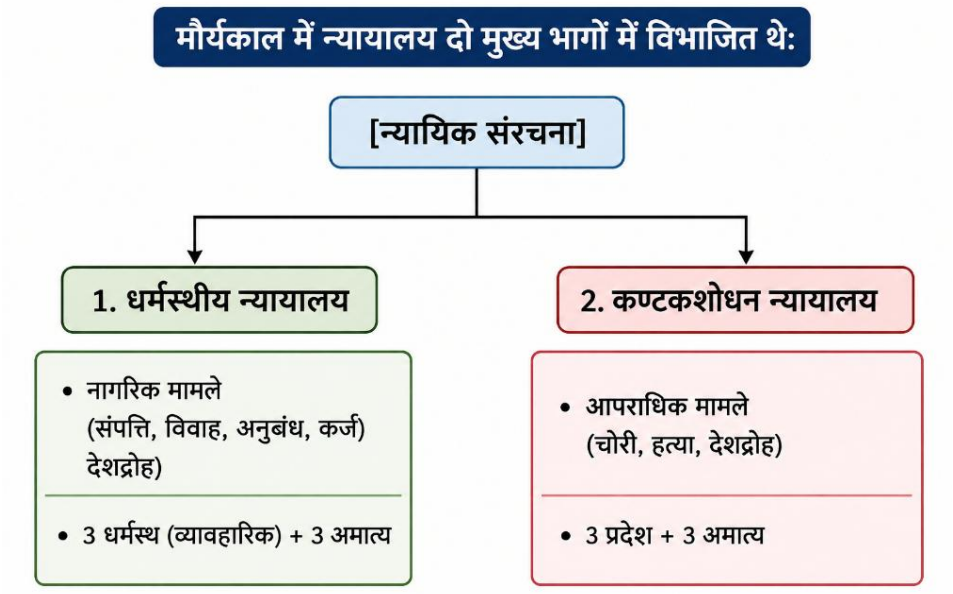



© 2026 राहुल कुमार. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

1. **धर्मस्थीय न्यायालय:** यह आधुनिक दीवानी मामलों (Civil Cases) की सुनवाई करता था। इसमें भूमि विवाद, उत्तराधिकार, ऋण, विवाह और संविदा संबंधी मुकदमों का निपटारा किया जाता था।
2. **कटक शोधन न्यायालय:** यह आपराधिक मामलों (Criminal Cases) से संबंधित था। इसमें नागरिकों और राज्य के शत्रुओं,

   असामाजिक तत्वों, भ्रष्ट अधिकारियों, चोरी, डकैती और हत्या के मामलों में कठोर दण्ड दिया जाता था।

**दण्ड विधान**

कौटिल्य की दण्ड नीति में अपराध की प्रकृति के अनुसार तीन प्रकार के दण्ड का विधान था:

- **शारीरिक दण्ड:** अंग-भंग, कोड़े मारना या मृत्युदण्ड (अत्यंत गंभीर या देशद्रोह के मामलों में)।
- **आर्थिक दण्ड (अर्थदण्ड):** प्रथम साहस दण्ड, मध्यम साहस दण्ड और उत्तम साहस दण्ड।
- **कैद/कारागार:** बंदियों को जेलों (कार्यागार) में रखना।

अपराध रोकने के लिए दण्ड का निष्पक्ष और भयमुक्त निष्पादन आवश्यक माना गया। कौटिल्य के अनुसार यदि दण्ड अत्यधिक कठोर होगा तो प्रजा रोष व्यक्त करेगी, यदि अति-कोमल होगा तो अपराध बढ़ेंगे, परंतु यदि दण्ड न्यायसंगत होगा तो प्रजा में सम्मान और सुरक्षा का भाव पैदा होगा।

**सैन्य प्रशासन एवं गुप्तचर तंत्र**

**सैन्य संगठन (चतुरंगिणी सेना)**

मौर्य साम्राज्य के पास उस समय विश्व की सबसे विशाल और शक्तिशाली स्थायी सेना थी। प्लिनी के विवरण के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार, 9,000 युद्ध हाथी और 8,000 रथ थे।

सेना का संचालन **6 समितियों (प्रत्येक में 5 सदस्य)** वाले एक **सैन्य बोर्ड (30 सदस्यीय बोर्ड)** द्वारा किया जाता था:

1. **1ली समिति:** नौसेना (Navy) विभाग।
2. **2री समिति:** सैन्य रसद, सामग्री एवं परिवहन विभाग।
3. **3री समिति:** पैदल सेना (Infantry) प्रबंधन।
4. **4थी समिति:** अश्वारोही (Cavalry) सेना प्रबंधन।
5. **5वीं समिति:** गजारोही (Elephantry) सेना प्रबंधन।
6. **6ठी समिति:** रथ सेना (Chariots) प्रबंधन।

**गुप्तचर तंत्र (Espionage System) एवं षाड्गुण्य नीति**

कौटिल्य की शासन व्यवस्था का सबसे अद्वितीय और उन्नत तत्व उसका **गुप्तचर विभाग (महामात्यापसर्प)** था। गुप्तचरों को राज्य की 'आंख और कान' माना जाता था। कौटिल्य ने गुप्तचरों को दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया:

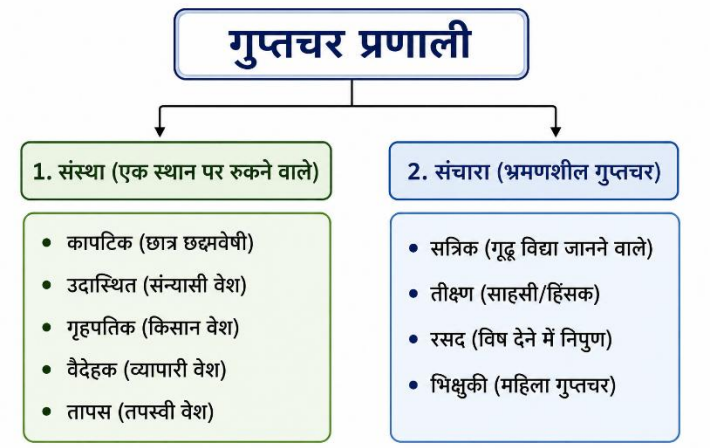


गुप्तचरों का उपयोग न केवल विदेशी राज्यों की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए किया जाता था, बल्कि आन्तरिक विद्रोहों को दबाने, अधिकारियों की ईमानदारी की जाँच करने (उपधा परीक्षण) और जनमत को समझने के लिए भी होता था।

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और कूटनीति के लिए कौटिल्य ने **षाड्गुण्य नीति** (6 प्रकार की विदेश नीति) का प्रतिपादन किया:

1. **संधि:** शांति का समझौता करना।
2. **विग्रह:** युद्ध की नीति अपनाना।
3. **यान:** आक्रमण हेतु प्रस्थान करना।
4. **आसन:** तटस्थ रहना या प्रतीक्षा करना।
5. **संश्रय:** शक्तिशाली राजा की शरण लेना।
6. **द्वैधीभाव:** एक राजा से संधि और दूसरे से विग्रह।

**समालोचनात्मक मूल्यांकन एवं आधुनिक संदर्भ में प्रासंगिकता**

**समालोचनात्मक मूल्यांकन**

कौटिल्यीय अर्थशास्त्र और मौर्यकालीन शासन व्यवस्था का निष्पक्ष मूल्यांकन करने पर निम्नलिखित बिंदु उभर कर सामने आते हैं:

- **सकारात्मक पक्ष:** मौर्य प्रशासन ने भारत को प्रथम बार प्रशासनिक रूप से एकीकृत किया। एक विशाल नौकरशाही, एकीकृत कर प्रणाली, उन्नत न्याय विधान और मजबूत सैन्य बल के कारण साम्राज्य में अभूतपूर्व आंतरिक शांति और समृद्धि आई। 'योगक्षेम' की अवधारणा ने आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य का मार्ग प्रशस्त किया।
- **सीमाएं/कमियां:** कौटिल्य का गुप्तचर तंत्र और दण्ड नीति अत्यधिक कठोर एवं अनैतिक प्रतीत होती है। राज्य का नियंत्रण नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन, व्यापार और कलाओं पर आवश्यकता से अधिक (Over-centralized) था, जिससे कभी-कभी व्यक्तिगत स्वतंत्रता बाधित होती थी। अत्यधिक नौकरशाही व्यवस्था (Red Tapism) ने कालांतर में साम्राज्य के पतन में भी योगदान दिया।

**आधुनिक लोक प्रशासन में प्रासंगिकता**

कौटिल्य का अर्थशास्त्र केवल प्राचीन इतिहास की विषय-वस्तु नहीं है, बल्कि आधुनिक समय में भी निम्नलिखित क्षेत्रों में अत्यंत प्रासंगिक है:

1. **सुशासन (Good Governance):** कौटिल्य का यह सिद्धांत कि "प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है" आधुनिक लोकतांत्रिक


© 2026 राहुल कुमार. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

सरकारों के लिए नागरिक-केंद्रित (Citizen-Centric) सेवा का मूल आधार है।

2. **भ्रष्टाचार पर नियंत्रण:** कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले 40 प्रकार के भ्रष्टाचारों का वर्णन किया है और कहा है कि "जैसे जीभ पर रखे शहद को न चखना असंभव है, वैसे ही सरकारी धन से जुड़े अधिकारी का कुछ हिस्सा न खाना कठिन है।" उन्होंने भ्रष्टाचार मिटाने के लिए सख्त निगरानी और गुप्तचरों की नियुक्ति का जो सुझाव दिया, वह आधुनिक सीबीआई (CBI) या लोकपाल जैसी संस्थाओं का पूर्वगामी है।
3. **आपदा प्रबंधन (Disaster Management):** अर्थशास्त्र में अकाल, बाढ़, आग और महामारी के समय राज्य द्वारा खाद्यान्न वितरण और राहत कार्यों का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है।
4. **यथार्थवादी विदेश नीति (Realpolitik):** अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कौटिल्य का मण्डल सिद्धांत और षाड्गुण्य नीति आज भी राष्ट्रीय हित और विदेश नीति के निर्माण में मार्गदर्शक का कार्य करती है।

## 5. निष्कर्ष

संक्षेप में, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मौर्यकालीन शासन व्यवस्था प्राचीन भारत के प्रशासनिक कौशल का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य के संयुक्त प्रयासों से निर्मित यह प्रशासनिक ढांचा केवल सैन्य शक्ति पर आधारित नहीं था, बल्कि इसमें सुदृढ़ आर्थिक नीतियों, न्यायसंगत कानून प्रणाली, कुशल नौकरशाही और कल्याणकारी योजनाओं का अद्वितीय संतुलन था।

कौटिल्य ने राज्यशास्त्र को धर्मशास्त्र के दायरे से बाहर निकालकर उसे एक स्वतंत्र, व्यावहारिक और यथार्थवादी विज्ञान का रूप दिया। यद्यपि उनके द्वारा वर्णित कुछ उपकरण (जैसे गुप्तचरों के कठोर प्रयोग) तात्कालिक राजनीतिक आवश्यकताओं से प्रेरित थे, किंतु उनका मूल दर्शन—प्रजा का कल्याण, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, वित्तीय अनुशासन और राष्ट्रीय सुरक्षा—आधुनिक लोकतांत्रिक राष्ट्र-राज्यों के लिए आज भी उतना ही प्रासंगिक और अनुकरणीय है जितना ईसा पूर्व 4थी शताब्दी में था।

## संदर्भ सूची


1. अग्रवाल वीएस. भारत की मौलिक एकता. इलाहाबाद: साहित्य भवन; 1963.
2. अलतेकर एएस. प्राचीन भारतीय शासन पद्धति. इलाहाबाद: भारती भंडार, लीडर प्रेस; 1958.
3. ओझा जीएच. मध्यकालीन भारतीय संस्कृति. विश्वविद्यालय हिंदी ग्रंथ अकादमी; 1937.
4. कांगले आरपी. द कौटिल्य अर्थशास्त्र. भाग 1–3. दिल्ली: मोतीलाल बनारसीदास; 1965.
5. काणे पीवी. धर्मशास्त्र का इतिहास. भाग 1–2. लखनऊ: उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान; 1973.
6. कौटिल्य. अर्थशास्त्र. गैरोला पं. वाचस्पति, अनुवादक. वाराणसी: चौखम्भा विद्याभवन; 1925.
7. गुप्त पीएल. प्राचीन भारत का इतिहास और संस्कृति. जयपुर: विश्वविद्यालय हिंदी ग्रंथ अकादमी; 1970.
8. जायसवाल केपी. Hindu Polity: A Constitutional History of India in Hindu Times. बैंगलोर: Bangalore Printing and Publishing Company; 1955.
9. झा डीएन. प्राचीन भारत: एक प्रारंभिक रूपरेखा. नई दिल्ली: ग्रंथ शिल्पी; 2004.
10. थापर रोमिला. अशोक और मौर्य साम्राज्य का पतन. नई दिल्ली: ग्रंथ शिल्पी; 1997.
11. थापर रोमिला. भारत का इतिहास (प्राचीन काल). नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन; 2008.
12. नाथ विजय. प्राचीन भारत में राज्य और समाज. नई दिल्ली: अनामिका पब्लिशर्स; 2002.
13. बाशम एएल. अद्भुत भारत (The Wonder That Was India). आगरा: शिवलाल अग्रवाल एंड कंपनी; 1996.
14. मजूमदार आरसी. प्राचीन भारत. दिल्ली: मोतीलाल बनारसीदास; 1968.
15. मुखर्जी आरके. चंद्रगुप्त मौर्य और उनका काल. नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन; 1960.
16. मेगस्थनीज. इंडिका. McCrindle JW, संपादक. कलकत्ता: Chakravarti and Chatterjee; 1926.
17. रायचौधुरी एचसी. प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास. इलाहाबाद: किताब महल; 1975.
18. शर्मा आरएस. प्राचीन भारत में राजनीतिक विचार एवं संस्थाएं. नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन; 2002.
19. शर्मा आरएस. भारत का प्राचीन अतीत. नई दिल्ली: Oxford University Press; 2009.
20. श्रीवास्तव एएल. प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति. इलाहाबाद: लोकभारती प्रकाशन; 2005.



**Creative Commons (CC) License**

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution–Non-Commercial–No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) license. This license permits sharing and redistribution of the article in any medium or format for non-commercial purposes only, provided that appropriate credit is given to the original author(s) and source. No modifications, adaptations, or derivative works are permitted under this license.



**About the Author**

**राहुल कुमार** राजकीय महाविद्यालय, मासलपुर, करौली, राजस्थान के इतिहास विभाग में सहायक आचार्य हैं। आपकी रुचि भारतीय इतिहास, सांस्कृतिक विरासत, इतिहासलेखन तथा ऐतिहासिक अनुसंधान में है। आप उच्च शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण अध्यापन, शोध एवं विद्यार्थियों में इतिहास के प्रति वैज्ञानिक एवं आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए समर्पित हैं।




© 2026 राहुल कुमार. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/